

# राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन)

**जबकि**, मार्च 2020 की शुरुआत से ही, इलिनॉय ने एक ऐसी वैश्विक-महामारी का सामना किया है जो असाधारण रूप से बीमारी एवं जनहानि का कारण बनी है, जो 1,400,000, से भी अधिक लोगों को संक्रमित कर चुकी है और इसने 23,400 से अधिक निवासियों की जान ले ली है; और,

**जबकि**, इलिनॉय के निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है; और,

**जबकि**, जैसे इलिनॉय कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) द्वारा उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा का सामना करना जारी रखता है, जो कि एक बिलकुल नया, गंभीर, तीव्र श्वसन रोग है जो श्वसन संचरण के माध्यम से तेज़ी से फैलता है, इससे संपूर्ण राज्य के निवासियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, प्रथम उत्तरदाताओं और सरकारों पर जो भारी दबाव पड़ा है वह अभूतपूर्व रहा है; और,

**जबकि**, विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) ने 30 जनवरी, 2020 को COVID-19 को अंतरराष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा घोषित किया, और युनाइटेड स्टेटज़ सैक्रेटरी ऑफ़ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसिस (United States Secretary of Health and Human Services) ने 27 जनवरी, 2020 को यह घोषणा की थी कि COVID-19 सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक आपात स्थिति प्रस्तुत करता है; और,

**जबकि**, 11 मार्च, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) ने COVID-19 प्रकोप को एक वैश्विक महामारी के रूप में चिन्हित किया, और अब इसने पूरे विश्व में COVID-19 के 191 मिलियन से अधिक पुष्टिकृत मामलों एवं COVID-19 के कारण 4.1 मिलियन से अधिक मौतों की रिपोर्ट की है; और,

**जबकि**, COVID-19 को रोकने के प्रयासों के बावजूद, वायरस ने तेज़ी से फैलना जारी रखा है, जिसके परिणामस्वरूप संघीय और राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है; और,

**जबकि**, COVID-19 के टीके COVID-19 रोग, विशेष रूप से गंभीर बीमारी और मृत्यु को रोकने में प्रभावी हैं, लेकिन आबादी का एक हिस्सा बिना टीकाकरण के है और कुछ निवासियों ने, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, अभी तक वैक्सीन प्राप्त नहीं कर सके हैं; तथा,

**जबकि**, 9 मार्च, 2020 को मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय के राज्यपाल (गवर्नर), ने COVID-19 के प्रकोप की प्रतिक्रिया में इलिनॉय राज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

**जबकि**, 13 मार्च 2020 को राष्ट्रपति ने रॉबर्ट टी. स्टैफ़र्ड डिज़ास्टर रिलीफ़ एवं इमेरजेंसी असिस्टेंस एक्ट 42 U.S.C. 5121-5207 ("स्टैफ़र्ड अधिनियम") के भाग 501(b) (*Section 501(b) of Robert T. Stafford*

*Disaster Relief and Emergency Assistance Act, 42 U.S.C. 5121-5207 (the "Stafford Act")*) के अनुसरण में, इलिनॉय सहित सभी राज्यों और क्षेत्रों को कवर करते हुए, राष्ट्रव्यापी आपदा घोषित की है; और,

**जबकि**, 26 मार्च 2020 को राष्ट्रपति ने स्टैफर्ड अधिनियम के अनुभाग 401 (*Section 401 of the Stafford Act*) के अनुसरण में इलिनॉय में बड़ी आपदा घोषित की; और,

**जबकि**, 1 अप्रैल 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के विस्फोटक फैलाव के कारण, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

**जबकि**, 30 अप्रैल 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के लगातार जारी प्रसार के कारण, अस्पताल के बिस्तरों, आपाकालीन कक्ष के बिस्तरों, और वेंटिलेटर्स की कमी होने के खतरे के कारण, और अपर्याप्त परीक्षण क्षमता के कारण, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

**जबकि**, 29 मई 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के लगातार जारी प्रसार के कारण, और परिणामतः वाइरस के स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभावों के कारण, और परीक्षण क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता के कारण, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

**जबकि**, 26 जून 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के और अधिक प्रसार के कारण, स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर वाइरस के लगातार होने वाले प्रभावों एवं परीक्षण क्षमता को बढ़ाने और रोग के खिलाफ हमारी प्रगति को बनाए रखने की आवश्यकता के उद्देश्य से, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया है; और,

**जबकि**, 24 जुलाई 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के पुनरुत्थान के फलस्वरूप स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर वाइरस के लगातार होने वाले प्रभावों एवं परीक्षण क्षमता को बढ़ाने और रोग के खिलाफ हमारी प्रगति को बनाए रखने की आवश्यकता के उद्देश्य से, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

**जबकि**, 21 अगस्त 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के पुनरुत्थान के फलस्वरूप स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर वाइरस के लगातार होने वाले प्रभावों एवं परीक्षण क्षमता को बढ़ाने और रोग के खिलाफ हमारी प्रगति को बनाए रखने की आवश्यकता के उद्देश्य से, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

**जबकि**, 18 सितंबर 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के पुनरुत्थान के फलस्वरूप स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर वाइरस के लगातार होने वाले प्रभावों एवं परीक्षण क्षमता को बढ़ाने और रोग के खिलाफ हमारी प्रगति को बनाए रखने की आवश्यकता के उद्देश्य से, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

**जबकि**, 16 अक्टूबर 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के पुनरुत्थान के फलस्वरूप स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर वाइरस के लगातार होने वाले प्रभावों एवं परीक्षण क्षमता को बढ़ाने और रोग के खिलाफ हमारी प्रगति को बनाए रखने की आवश्यकता के उद्देश्य से, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

**जबकि**, 13 नवंबर 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के बढ़ते प्रसार, स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर वाइरस के लगातार होने वाले प्रभावों एवं परीक्षण क्षमता को बढ़ाने और रोग के खिलाफ हमारी प्रगति को बनाए रखने की आवश्यकता के उद्देश्य से, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

**जबकि**, 11 दिसंबर 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के तेज़ी से जारी प्रसार, स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर वाइरस के लगातार होने वाले प्रभावों के कारण एवं परीक्षण क्षमता को बढ़ाने और रोग के खिलाफ हमारी प्रगति को बनाए रखने की आवश्यकता के उद्देश्य से, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया है; और,

**जबकि**, 8 जनवरी 2021 को, इलिनॉय में COVID-19 के तेज़ी से लगातार जारी प्रसार के कारण, और वाइरस के स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभावों के कारण, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

**जबकि**, 5 फरवरी 2021 को, इलिनॉय में COVID-19 के लगातार तेज़ प्रसार के कारण, और परिणामतः वाइरस के स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभावों के कारण, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

**जबकि**, 5 मार्च 2021 को इलिनॉय में COVID-19 के लगातार तेज़ प्रसार के कारण, और वाइरस के स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभावों के कारण, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

**जबकि**, 2 अप्रैल 2021 को इलिनॉय में COVID-19 के लगातार तेज़ प्रसार के कारण, और वाइरस के स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभावों के कारण, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

**जबकि**, 30 अप्रैल 2021 को इलिनॉय में COVID-19 के लगातार तेज़ प्रसार के कारण, और वाइरस के स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभावों के कारण, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

**जबकि**, 28 मई 2021 को, इलिनॉय में COVID-19 के तेज़ी से लगातार जारी प्रसार के कारण, और वाइरस के जारी स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभावों के कारण, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

**जबकि**, 25 जून 2021 को, इलिनॉय में COVID-19 के तेज़ी से लगातार जारी प्रसार के कारण, और वायरस के जारी स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभावों के कारण, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

**जबकि**, COVID-19 से संबंधित परिस्थितियों के तेज़ी से विकसित होने और नए साक्ष्य के प्रकट होने के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य जानकारी एवं मार्गदर्शन में बार-बार बदलाव किए गए हैं; और,

**जबकि** COVID-19 की अभूतपूर्व प्रकृति, जिसमें केवल श्वसन तंत्र ही नहीं बल्कि हृदय, मस्तिष्क, गुर्दों, और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर पड़ने वाले इसके स्वास्थ्य परिणाम शामिल हैं, ने इस वाइरस के प्रभावों और इसके प्रसार के मार्ग का पूर्वानुमान लगाना कठिन बना दिया है; और,

**जबकि**, सामाजिक दूरी, फ़ेस कवर, और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सावधानियां COVID-19 के प्रसार को धीमा करने एवं रोकने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं; और,

**जहाँ**, रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (Centers for Disease Control and Prevention (“CDC”)) ने सम्पूर्ण रूप से वैक्सीन लगा चुके लोगों के लिए अपने दिशानिर्देश को अपडेट किया,<sup>1</sup> जिसमें इस बात का संकेत दिया गया कि वे मास्क पहने बिना या 6 फीट की दूरी बनाए बिना अनगिनत गतिविधियाँ शुरू कर सकते हैं, अगर संघीय, राजकीय, स्थानीय, जनजातीय, या प्रादेशिक कानूनों, नियमों, और विनियमों द्वारा इस पर अंकुश न लगाया जाए, जिसमें स्थानीय व्यावसायिक और कार्यस्थल सम्बन्धी दिशानिर्देश भी शामिल हैं; और,

**जबकि**, CDC यह सलाह देना जारी रखे हुए है कि कपड़े के फेस कवरिंग या मास्क उन लोगों की रक्षा करते हैं जिनका COVID-19 से पूरी तरह टीकाकरण नहीं हुआ है; और,

**जबकि**, CDC की सलाह के अनुसार, स्कूलों को K-12 स्कूलों में COVID-19 की रोकथाम के लिए CDC के मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए और मास्क पहनने सहित, अपने क्षेत्र में आवश्यक रोकथाम का पता लगाने के लिए स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ काम करना चाहिए; और,

**जबकि**, सीडीसी ने यह सलाह देना जारी रखा है कि डे केयर प्रदाताओं को डे केयर प्रदाताओं और उनके कर्मचारियों को वैक्सीन लग जाने के बाद भी, मास्क लगाने और शारीरिक दूरी बनाए रखने सहित, कोविड-19 रोकथाम रणनीतियों का उपयोग जारी रखना चाहिए; और

---

<sup>1</sup> लोगों को 2 खुराक वाली श्रृंखला जैसे फ़ाइज़र या मॉडर्ना वैक्सीन्स के मामले में अपनी दूसरी खुराक लेने के 2 हफ्ते बाद, या एक खुराक वाली वैक्सीन जैसे जॉनसन एंड जॉनसन का जानसेन वैक्सीन लेने के 2 हफ्ते बाद, पूरी तरह से वैक्सीनेटेड माना जाता है। उन लोगों को पूरी तरह वैक्सीनेटेड नहीं माना जाता है जो इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, चाहे उनकी उम्र जो भी हो।

**जबकि**, वाइरस से संक्रमित हुए कुछ लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखते हैं पर फिर भी वे इसे दूसरों तक फैला सकते हैं; और,

**जबकि**, सार्वजनिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन सलाह देता है कि उन लोगों के बीच कम से कम शारीरिक संपर्क हो जिनका पूरा टीकाकरण नहीं हुआ है और जो एक ही घर में नहीं रहते हैं, यह COVID-19 के फैलाव को धीमा करने के लिए महत्वपूर्ण है; और,

**जबकि**, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के दौरान COVID-19 इलिनॉय में फैल चुका है, और संपूर्ण राज्य में आपदा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां बदल चुकी हैं एवं लगातार बदल रही हैं, तो ऐसे में अगले कुछ माह में वाइरस का प्रसार का मार्ग क्या होगा इसका स्पष्ट पूर्वानुमान लगाना अत्यंत कठिन हो गया है; और,

**जबकि**, जिस समय मैंने प्रथम राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन) जारी की थी तब इलिनॉय की एक काउंटी में COVID-19 के 11 पुष्टीकृत मामले थे; और,

**जबकि**, आज तक, इलिनॉय की सभी 102 काउंटियों में COVID-19 के पुष्टीकृत मामलों की संख्या 1,400,000 से अधिक है; और,

**जबकि**, इलिनॉय में COVID-19 से होने वाली पहली मृत्यु की घोषणा 17 मार्च, 2020 को की गई थी; और,

**जबकि**, आज तक, COVID-19 के कारण इलिनॉय के 23,400 से भी अधिक निवासियों की मृत्यु हो चुकी है; और,

**जबकि**, शुरू से ही, अध्ययन से पता चला है कि प्रत्येक पुष्ट मामले के साथ और कई अज्ञात मामले होते हैं, जिनमें से कुछ लक्षणहीन व्यक्ति शामिल होते हैं, जो अनजाने ही दूसरों को वाइरस से संक्रमित कर सकते हैं; और,

**जबकि**, हालांकि COVID-19 के नए मामलों की संख्या अभी हाल ही में कम हुई है, पर वायरस लगातार बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित कर रहा है और प्रतिदिन बहुत से इलिनॉय वासियों की जान ले रहा है; और,

**जबकि**, COVID-19 वैश्विक महामारी सबसे अधिक आबादी वाली काउंटियों तक ही सीमित नहीं है, और राज्य के सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण COVID-19 जोखिम का सामना करना पड़ रहा है; तथा,

**जबकि**, बिना सावधानियों के COVID-19 तेजी से फैल सकता है, यहां तक कि कम आबादी वाले क्षेत्रों में भी; और,

**जबकि**, राज्य और इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ ने क्षेत्रों में एक निश्चित स्तर का खतरा होने पर अतिरिक्त सावधानियों के सक्रिय करने के लिए एक विस्तृत राहत योजना बनाई है और उसे लगातार अपडेट किया है; और,

**जबकि**, U.S. ने कुल 34.2 मिलियन मामलों और लगभग 600,000 मौतों के आंकड़े को पार कर लिया है; और,

**जबकि**, COVID-19 ने अनुपातहीन रूप से ऊँची दर पर इलिनॉय के अश्वेत और हिस्पेनिक इलिनॉय निवासियों की जानें ले ली हैं और उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करना जारी रखा है – जिससे स्वास्थ्य संबंधी विषमताएं एवं असमानताएं उल्लेखनीय रूप से उभर कर सामने आई हैं; और,

**जबकि**, इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ ने अस्पताल संसाधनों के इस्तेमाल एवं क्षमता की आवश्यकता में अचानक बड़े उछाल से बचने के लिए अस्पतालों, स्थानीय स्वास्थ्य विभागों, और आपातकालीन प्रबंधन प्रणालियों के आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रयासों में तालमेल बैठाने के लिए अपनी इलिनॉय इमेरजेंसी ऑपरेश्रज़ प्लान और आपातकालीन सहयोग कार्य 8 योजना (*Emergency Support Function 8 Plan*) को सक्रिय कर दिया; और,

**जबकि**, वाइरस के इलिनॉय में फैलाव के साथ-साथ राज्य के सामने संकट का बढ़ना जारी है और एक लगातार विकसित होती प्रतिक्रिया की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अस्पताल,

स्वास्थ्य कर्मी और प्रथम प्रतिक्रिया कर्मियों को इलिनॉय के सभी निवासियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हों, और यह लगातार अपडेट होने वाले CDC के मार्गदर्शन के अनुरूप हों; और,

**जबकि**, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, प्रथम प्रतिक्रिया कर्मी, अस्पताल एवं अन्य इकाइयां इलिनॉय के सभी निवासियों की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं की पूर्ति में समर्थ हो सकें इसे सुनिश्चित करने के लिए, राज्य के पास अत्यावश्यक आपूर्तियों, जिनमें PPE, जैसे कि मास्क, फ़ेस शील्ड, गाउन, एवं दस्ताने शामिल हैं, का होना आवश्यक है; और,

**जबकि**, इलिनॉय राज्य एक भंडार बनाकर रखता है जो मौजूदा PPE आपूर्ति शृंखलाओं और विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों के स्टॉक को सहयोग देता है; और,

**जबकि**, जबकि, राज्य PPE की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना जारी रखे हुए है, अगर वे खरीद के प्रयास बाधित हो जाते हैं या इलिनॉय में COVID-19 मामलों में वृद्धि का अनुभव होता है, राज्य को स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और पहले उत्तरदाताओं के लिए महत्वपूर्ण आपूर्ति की प्राणघातक कमी का सामना करना पड़ सकता है; और,

**जबकि**, इलिनॉय अस्पताल के बिस्तरों और ICU बिस्तरों की एक बड़ी संख्या का उपयोग करना जारी रखे हुए है; और, यदि COVID-19 के मामले बढ़ते हैं, तो राज्य को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ सकता है; तथा,

**जबकि**, इलिनॉय COVID-19 के लगभग 26.5 मिलियन कुल नमूनों का परीक्षण कर चुका है; और,

**जबकि**, 23,400 से भी अधिक इलिनॉय वासियों की दुखद मृत्यु का कारण बनने एवं दसियों हज़ारों और निवासियों के शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह करने के इलावा, COVID-19 ने व्यापक आर्थिक हानि भी की है और यह अभी-भी लगातार पूरे राष्ट्र एवं राज्य में बड़ी संख्या में व्यक्तियों एवं व्यवसायों की आर्थिक खुशहाली को खतरे में डाल रहा है; और,

**जबकि**, पूरे राष्ट्र में, वैश्विक महामारी के आरंभ से अब तक 75 मिलियन से अधिक लोग बेरोज़गारी के दावे दायर कर चुके हैं; और,

**जबकि**, इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट सिक्युरिटी ने घोषणा की है कि राज्य की बेरोज़गारी दर लगातार ऊँची बनी हुई है; और,

**जबकि**, इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट सिक्युरिटी इस आर्थिक संकट का कई प्रकार से सामना कर रहा है, जिसमें वैश्विक-महामारी बेरोज़गारी सहायता (पैंडेमिक अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस) कार्यक्रम के माध्यम से सहायता देना शामिल है; और,

**जबकि**, डिपार्टमेंट ऑफ़ कामर्स एंड एकनामिक अपार्टियुनिटी इस आर्थिक संकट को सुलझाने के लिए कार्य कर रहा है, जिसमें COVID-19 संबंधी बंदों के कारण कार्य करने की अत्यंत सीमित क्षमता का अनुभव करने वाले व्यवसायों के लिए बिज़नेस इंटरप्शन ग्रांट प्रोग्राम के माध्यम से सहायता देना शामिल है; और,

**जबकि**, राज्य में कई कार्यकारी एजेंसियां COVID-19 महामारी के लिए जारी प्रतिक्रिया पर महत्वपूर्ण संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखती हैं; तथा

**जबकि**, कई राज्य एजेंसियों की आने वाले महीनों में अमेरिकी बचाव योजना और कोरोनावायरस राज्य और स्थानीय वित्तीय वसूली निधि को प्रशासित करने में भूमिका होगी; तथा,

**जबकि**, COVID-19 वैश्विक-महामारी के कारण इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ ऐग्रिकल्चर (IDOA) के लिए मांस व पोल्ट्री इकाइयों और पशुधन प्रबंधन इकाइयों के नियमन एवं पर्यवेक्षण के माध्यम से राज्य की खाद्यापूर्ति शृंखला पर प्रकोप के प्रभाव को संभालना आवश्यक हो गया है; और

**जबकि**, COVID-19 वैश्विक-महामारी के चलते पशुधन बाज़ार में आए व्यवधान के कारण IDOA के लिए मृत पशु निपटान अधिनियम (Dead Animal Disposal Act) के अपने पर्यवेक्षण एवं नियमन के माध्यम से सुरक्षित एवं पर्यावरणीय पशु निपटान चिंताओं को हल करने के लिए अपने संसाधनों को पशुधन स्वामियों एवं उत्पादकों के साथ कार्य करने पर केंद्रित करना आवश्यक हो गया है; और

**जबकि**, IDOA ऐसे कई अन्य उद्योगों का नियमन एवं उनकी जांच-पड़ताल करता है जो COVID-19 वैश्विक-महामारी से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, जिनमें कीटनाशक लगाने वाले, पशु आश्रय, पालतू पशुओं की दुकानें, और गैस स्टेशन शामिल हैं पर वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, और इन उद्योगों के सतत व उचित नियमन हेतु IDOA के लिए यह आवश्यक है कि वह दूरस्थ जांच-पड़ताल एवं प्रशिक्षण संचालित करने की नई कार्यविधियों की रचना करने में अतिरिक्त समय व संसाधन लगाए; और

**जबकि**, IDOA द्वारा विनियमित उद्योगों पर COVID-19 वैश्विक-महामारी के हानिकारक प्रभाव के कारण IDOA के लिए बिज़नेस इंटरप्शन ग्रांट प्रोग्राम (Business Interruption Grant Program) के समयबद्ध कार्यान्वयन के आयोजन और प्रबंधन में अतिरिक्त समय एवं संसाधनों का निवेश आवश्यक हो गया है; और

**जबकि**, COVID-19 के कारण होने वाली आर्थिक हानि और असुरक्षा से व्यवसाय की व्यवहार्यता और आवास, चिकित्सा देखभाल, भोजन और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच को खतरा है जो निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सीधे प्रभावित करते हैं; और,

**जबकि**, आवास की सुविधा ने COVID-19 के फैलाव को रोकने में मदद की है क्योंकि आवास में रहने वाले लोग अपने घरों के बाहर मौजूद लोगों से शारीरिक संपर्क को कम कर पाए हैं; और,

**जबकि**, अस्थायी रूप से बेदखली की कार्यवाही को रोकना, निकाले जाने से जुड़े कई संपर्कों से बचाता है, जिसमें कानून प्रवर्तन अधिकारी, कोर्ट रूम कर्मी, मकान मालिक, मूवर्स (सामान स्थानांतरण करने वाले) और मित्र और परिवार शामिल हैं, जो अस्थायी आवास प्रदान करने के लिए सहमत होते हैं, साथ ही उन लोगों को भी जो बेघर होने के लिए मजबूर हैं, किसी आश्रय में शरण लेने से जुड़े संपर्कों से बचाता है; और,

**जबकि**, अस्थायी रूप से बेदखली कार्यवाही की रोकथाम प्रसार को रोकती है, इस प्रकार यह व्यापक समुदाय में COVID-19 के प्रसार को भी रोकना जारी रखती है; और,

**जबकि**, COVID-19 स्कूलों के लिए भी असाधारण रूप से बाधाकारी रहा है, इसलिए राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक यह है कि नए स्कूल वर्ष में यह सुनिश्चित किया जाए कि छात्र गुणवत्ता-पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हों तथा स्कूल छात्रों, शिक्षकों एवं समुदाय के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में सक्षम हों; और,

**जबकि**, पूर्वोक्त तथ्यों के आधार पर, और COVID-19 के तेज़ी से बढ़ते प्रसार को, तथा संपूर्ण राज्य के लोग आगामी महीनों में जिन निरंतर जारी स्वास्थ्य एवं आर्थिक दुष्प्रभावों का अनुभव करेंगे उन पर विचार करते हुए, इलिनॉय में COVID-19 से संबंधित जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वे इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (*Section 4 of the Illinois Emergency Management Agency Act*) के अनुभाग 4 के अंतर्गत एक महामारी आपातकाल एवं एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का कारण बनती हैं; और,

**जबकि**, पूर्वोक्त के आधार पर, अस्पताल संसाधनों पर लगातार बना हुआ बोझ, संक्रमणों की संख्या में उछाल आने की स्थिति में राज्य द्वारा इन संसाधनों की संभावित कमी का सामना करने की जारी संभावना, और PPE की खरीद एवं वितरण बढ़ाने के साथ-साथ COVID-19 की परीक्षण क्षमता बढ़ाने की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता, इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (*Section 4 of the Illinois Emergency Management Agency Act*) के अनुभाग 4 के अंतर्गत एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का कारण बनाते हैं; और,

**जबकि**, इलिनॉय राज्य की यह नीति है कि किसी भी आपदा का सामना करने के लिए तैयार रहे और, अतः राज्य के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व उपयुक्त है कि हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली उन लोगों की सेवा करने में सक्षम है जो बीमार हैं और यह कि इलिनॉय वासी सुरक्षित एवं महफूज़ रहें; और चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने में सक्षम रहें, और,

**जबकि**, इस उद्घोषणा से राज्य ऐसे व्यक्तियों और व्यवसायों की आर्थिक स्थिति को बहाल करने में मदद कर पाएगी जिन्हें COVID-19 के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा है, इसके द्वारा आगे होने वाले विनाशकारी परिणामों से बचा जा सकेगा; और,

**जबकि**, यह उद्घोषणा वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल पर राज्य की प्रतिक्रियाओं और स्थानीय सरकारों की प्रतिक्रियाओं को सहयोग देने के प्रयास के दौरान राज्य एवं संघीय संसाधनों, जिनमें COVID-19 का परीक्षण करने हेतु आवश्यक सामग्री, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, एवं दवाएं शामिल हैं, में तालमेल बैठाने में इलिनॉय के एजेंसियों की सहायता करेगी; और,

**जबकि**, यह उद्घोषणा इलिनॉय एजेंसियों को राज्य और संघीय वसूली निधियों के समन्वय में सहायता करेगी; तथा,

**जबकि**, ये स्थितियां इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (*Section 7 of the Illinois Emergency Management Agency Act*) के अनुभाग 7 के अंतर्गत नई आपदा की उद्घोषणा जारी करने का कानूनी औचित्य प्रदान करती हैं; और,

**जबकि**, इलिनॉय का संविधान, अनुच्छेद V, अनुभाग 8 (*Article V, Section 8*) में, यह प्रदान करता है कि "राज्यपाल के पास सर्वोच्च कार्यकारी शक्ति होगी, और वह कानूनों के न्यायसंगत निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा," और प्रस्तावना में कहता है कि, इलिनॉय के संविधान का केंद्रीय उद्देश्य "लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करना" है;

**अब, अतः**, इलिनॉय के लोगों और सार्वजनिक स्वास्थ्य व सुरक्षा हेतु उत्तरदायी स्थानीय सरकारों की सहायता के हित में, मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), यहां निम्नगत उद्घोषणा करता हूँ:

**अनुभाग 1.** इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम के 20 ILCS 3305/7 के अनुभाग 7 के प्रावधानों (*Section 7 of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7*) के अनुसरण में मैं यह पाता हूँ कि इलिनॉय राज्य के भीतर एक आपदा मौजूद है और विशेष रूप से इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित करता हूँ। यह उद्घोषणा, इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम 20 ILCS 3305/7 के अनुभाग 7 (*Section 7 of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7*), में प्रदत्त समस्त आपातकालीन शक्तियों, जिनमें नीचे वर्णित विशिष्ट आपातकालीन शक्तियां शामिल हैं पर उन्हीं तक सीमित नहीं हैं, के उपयोग के प्राधिकार की अनुमति देती है।

**अनुभाग 2.** इलिनॉय सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग (Illinois Department of Public Health) और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण (Illinois Emergency Management Agency) को यह निर्देश दिया जाता है कि वे वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल हेतु योजना बनाने और उस पर प्रतिक्रिया देने के संदर्भ में एक-दूसरे के साथ तालमेल रखें।

**अनुभाग 3.** इलिनॉय सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग (Illinois Department of Public Health) को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा की रणनीतियों और योजनाओं के विकास और कार्यान्वयन में राज्यपाल (गवर्नर), अन्य राज्य अभिकरणों एवं स्थानीय प्राधिकरणों, जिनमें स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण शामिल हैं, के साथ सहयोग करे।

**अनुभाग 4.** इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण (Illinois Emergency Management Agency) को यह निर्देश दिया जाता है कि वह आपदा प्रतिक्रिया और बहाली कार्यक्रमों में स्थानीय सरकारों की सहायता हेतु राज्य के संसाधनों का समन्वयन करने के लिए राज्य आपातकालीन संचालन योजना (State Emergency Operations Plan) कार्यान्वित करे।

**अनुभाग 5.** प्रतिक्रिया हेतु आवश्यक आपातकालीन खरीद, और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (Illinois Emergency Management Agency Act) द्वारा अधिकृत अन्य आपातकालीन शक्तियों के संबंध में सहायता देने के लिए, इलिनॉय अधिप्राप्ति संहिता (प्रोक्योरमेंट कोड) के वे उपबंध जो आपदा का सामना करने में आवश्यक कार्रवाई को किसी भी प्रकार से रोकते, बाधित करते, या विलंबित करते हों, उस सीमा तक स्थगित किए जाते हैं जिस सीमा तक कि वे संघीय कानून के लिए आवश्यक नहीं हैं। यदि आवश्यक हो तो, और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम 20, ILCS 3305/7(1) के अनुभाग 7(1) (*Section 7(1) of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7(1)*) के अनुसरण में, राज्यपाल (गवर्नर) अतिरिक्त संविधियों, आदेशों, नियमों, और विनियमों को स्थगित करने के लिए उपयुक्त सरकारी कार्रवाई कर सकता है।

**अनुभाग 6.** इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम, 20, ILCS 3305/7(3) के अनुभाग 7(3) (*Section 7(3) of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7(3)*) के अनुसरण में, यह उद्घोषणा राज्यपाल (गवर्नर) के, आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रमों को निष्पादित या सुगमित करने के उद्देश्य से राज्य के विभागों और उनके अभिकरणों या इकाइयों के निर्देश, कार्मिकों या कार्यों को स्थानांतरित करने के प्राधिकार को, आवश्यकतानुसार, सक्रिय करती है।

**अनुभाग 7.** इलिनॉय सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग (Illinois Department of Public Health), इलिनॉय बीमा विभाग (Illinois Department of Insurance), और इलिनॉय स्वास्थ्य देखभाल एवं परिवार सेवाएं विभाग (Illinois Department of Healthcare and Family Services) को यह निर्देश दिया जाता है कि वे COVID-19 और उसके परीक्षण के लिए विस्तारित पहुँच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और उपभोक्ताओं को COVID-19 की पहचान करने और उपचार सेवाएं पाने में वित्तीय बाधाओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए आवश्यक कदम उठाएं।

**अनुभाग 8.** इलिनॉय राज्य शिक्षा बोर्ड (स्टेट बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन) को निर्देश दिया जाता है कि वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल से जुड़े अध्ययन के किसी भी दुष्प्रभाव को दूर करने पर ध्यान देने के लिए, और इस उद्घोषणा के प्रभावी रहने के दौरान दूरस्थ-शिक्षण, जो इलिनॉय स्कूल संहिता, 105 ILCS 5/1-1 एवं अनुवर्ती (Illinois School Code, 105 ILCS 5/1-1 et. seq.), में विद्यमान है, के उपयोग में जो भी बाधाएँ हों उन्हें हटाने के लिए, आवश्यक कार्रवाइयों की अनुशंसा करें, और, उपयुक्ततानुसार, वे कार्रवाइयाँ करें।

**अनुभाग 9.** राज्य की सभी एजेंसियों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के आर्थिक प्रभाव का सामना करने और उससे उबरने की रणनीतियों एवं योजनाओं के विकास एवं कार्यान्वयन में राज्यपाल (गवर्नर), अन्य राज्य अभिकरणों और स्थानीय प्राधिकरणों का सहयोग करें।

**अनुभाग 10.** इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम, 20, ILCS 3305/7(14) के अनुभाग 7(14) (Section 7(14) of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7(14)) के अनुसरण में, इलिनॉय राज्य में वस्तुओं या सेवाओं, जिनमें चिकित्सीय आपूर्तियाँ, सुरक्षा उपकरण, दवाएँ और वे अन्य उपयोगी वस्तुएँ शामिल हैं जो COVID की रोकथाम या उपचार और उससे उबरने/स्वास्थ्य लाभ करने के लिए अभीष्ट हैं, के विक्रय मूल्य में इस उद्घोषणा के प्रभावी रहने के दौरान वृद्धि करना निषिद्ध रहेगा।

**अनुभाग 11.** यह उद्घोषणा संघीय आपातकालीन और/या आपदा सहायता के अनुरोधों को स्वीकारना सुगम बना सकती है, बशर्ते क्षति का पूर्ण व व्यापक आकलन यह इंगित करे कि प्रभावी बहाली राज्य और प्रभावित स्थानीय सरकारों की क्षमताओं से परे है।

**अनुभाग 12.** यह उद्घोषणा तत्काल प्रभावी होगी और 30 दिनों तक प्रभावी रहेगी।

जिसे साक्षी मानकर, मैंने इस दस्तावेज़ पर मेरे हस्ताक्षर किए हैं  
और इलिनॉय राज्य की महान मोहर लगवाई है।

हमारे परमेश्वर के दो हज़ार  
इक्कीसवें वर्ष और इलिनॉय  
राज्य के दो सौ तीसरे वर्ष में 23  
जुलाई को स्प्रिंगफ़ील्ड शहर में  
विधायिका व कार्यपालिका भवन  
कैपिटोल (Capitol) में कृत।



राज्य के सचिव

राज्यपाल